पंजीयन संख्या : 68939/98 अंक - 21, वर्ष 24

ज्ञान तत्व

459

विशेष लेख

सामाजिक बुराईयों की कहानियों पर खड़ी लूट की सियासत

सत्यता और निष्पक्षता का निर्भीक पाक्षिक

सम्पादक : बजरंग लाल अग्रवाल रामानुजगंज (छ.ग.)

पोस्ट की तारीख : 15-11-2024

प्रकाशन की तारीख : 1-11-2024

पाक्षिक मूल्य - 5/- (रूपये मात्र)

अनुक्रमणिका

सामाजिक बुराईयों की कहानियों पर खड़ी लूट की सियासत

सती प्रथा की वास्तविकता:
दहेज़ कोई सामाजिक बुराई नहीं:
बाल विवाह कभी समस्या कभी समाधान:
छुआछूत का सामाजिक समाधान ही कारगर:
सामाजिक प्रथाओं का निर्माण परिस्थिति अनुसार हुआ:
सभी प्रकार की सामाजिक समस्यायों का समाधान मार्गदर्शक के पास:

सामाजिक, संवैधानिक, आर्थिक विषयों पर मुनि जी के लेख

1-हृदयपरिवर्तन, अनुशासन और शासन के तीनों आधार पर हो व्यवस्था:
2-जातिवाद और छुआछूत का प्राकृतिक समाधान आरक्षण नहीं:
3-आपस में गुत्थमगुत्था हो गई है धर्म, राज्य और समाज व्यवस्था :
4-हमारा लक्ष्य है व्यवस्था परिवर्तन :
5-हमारा वर्तमान संविधान सभी समस्याओं की जड़ है:
6-आयात-निर्यात नीति में बदलाव का स्वागत होना चाहिए :

राजनैतिक विषयों पर मुनि जी के लेख

7-राजनैतिक नफा-नुकसान के लिए अपराधियों का संरक्षण ठीक नहीं:
8-असफल न्यायपालिका ने कार्यपालिका को मजबूर किया:
9-आन्दोलनकारी अराजकतावादी प्यादों का हश्र:
10-भारतीयों की शांति में कम्युनिस्ट, मुस्लिम गठजोड़ सबसे बड़ी बाधा:
11-हिन्दू, सामाजिकता को और मुसलमान संगठन को महत्व देता है:
12-मार्गदर्शक की तार्किकता उसका गुण:
13-साम्यवाद और सावरकरवाद में समानताएं:
14- कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था, समस्याओं का समाधान:

अपनों से अपनी बात

15-अपना कुछ खाली समय मार्गदर्शकों के निर्माण में भी लगायें:
16-सहजीवन और स्वतंत्रता का माडल विकसित करने की जद्दोजहद:
17- हिंसा और आक्रोश का समाधान सिर्फ मार्गदर्शकों के पास:
18- ज़ूम मीटिंग से:

सामाजिक बुराईयों की कहानियों पर खड़ी
लूट की सियासत

किसी भी व्यवस्था में कुछ अच्छाइयाँ होती है, तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। इन दोनों को एक साथ जोड़कर ही उस पूरी व्यवस्था का आकलन किया जाता है। इसी प्रकार मध्यकाल में हिंदुओं में भी कुछ बुराइयां आई, उन बुराइयों में सबसे अधिक खतरनाक बुराई थी, वर्ण व्यवस्था का कर्म के आधार से हटकर जन्म के आधार पर हो जाना, यह बुराई कब आई यह बात अब तक साफ नहीं हो सका है। शायद यह बुराई मुस्लिम काल में आई हो। लेकिन इस बुराई का महत्व समझने और सुधार का प्रयत्न शुरू करने के पहले ही, अंग्रेजों ने इस बुराई का लाभ उठाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस बुराई को एक गंभीर बुराई कहकर इस आधार पर हिंदुओं में फूट डालना शुरू कर दिया। यह स्वाभाविक है कि विरोधी पक्ष हमारी कमजोरी का लाभ उठाता है लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी अंग्रेजों के चाटुकार हमेशा इस बुराई का लाभ उठाते रहे। हम सब लोग इस बुराई का सुधार करने का प्रयास करते हैं, किंतु सत्तारूढ़ दल और धूर्त लोग इस बुराई को बढ़ा चढ़ा कर हमारी कमजोरी का लाभ उठाना चाहते हैं। परिणाम यह हुआ इस एक बुराई के आधार पर ही उन्होंने हमारे हिंदू धर्म की अनेको अच्छे प्रथाओं को भी बुरा बताना शुरू कर दिया। उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि हिंदू धर्म बुराइयों का भंडार है। आज भी विरोधी पक्ष के लोग इसी प्रकार का दुष्प्रचार करते रहते हैं। जबकि स्वतंत्रता के बाद जन्म अनुसार वर्ण और जाति को पूरी तरह संवैधानिक रूप से भी अमान्य कर दिया गया है और सामाजिक स्तर पर भी लगातार खत्म होती जा रही है। लेकिन विरोधी पक्ष के लोग हिंदुत्व को एक खतरा मानते हैं, इसलिए वे लोग हमेशा इस बुराई को बढ़ा-चढ़ा कर हमारे सामने प्रकट करते हैं। साथ ही विरोधी पक्ष के लोग हमारी कमजोरी के नाम पर इस बुराई को स्थाई रूप से बनाना चाहते हैं, जिसका नाम है 'जाति व्यवस्था'। हम हिंदू लोग जाति व्यवस्था से पिंड छुड़ाना चाहते हैं, हम इसमें बदलाव करना चाहते हैं। हमारे विरोधी लोग हमारे ही बीच के कुछ लोगों को बहका कर इस जाति व्यवस्था को स्थायित्व देना चाहते हैं। यह अंग्रेजो के एजेंट हिंदू धर्म के लिए खतरा है, हमारे समाज व्यवस्था के लिए खतरा है। मैं इस मत का हूँ कि हम अपनी आंतरिक व्यवस्था में इन बुराइयों को लगातार दूर करने का प्रयास करें, लेकिन विरोधी पक्ष के सामने हम इन बुराइयों को इतना महत्व न दें कि विरोधी पक्ष इन बुराइयों का लाभ उठाने की कोशिश करें। स्पष्ट है कि हमारी कार्यप्रणाली इतनी साफ होनी चाहिए कि हम बुराइयों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और उससे भी ज्यादा तेज गति से हम लाभ उठाने वालों को भी बेनकाब करते रहेंगे। वर्तमान भारत में यह बुराइयां उतनी घातक परिणाम नहीं दे रहे हैं जितना इन बुराइयों का लाभ उठाने वाले।

सती प्रथा की वास्तविकता:

सती प्रथा ना पहले कभी भारत में थी ना वर्तमान समय में है। मुझे पुराना इतिहास भी मालूम है कि सती प्रथा को भारत में बहुत सम्मान प्राप्त था लेकिन सती होना अपवाद स्वरूप ही माना जाता था। आमतौर पर समाज में सती प्रथा नहीं थी, ना तो कभी राजा दशरथ की रानियां सती हुई, ना ही उसके बाद कहीं और ऐसा सुनने को मिला। मैं तो बचपन से अपने पूरे परिवार को ही नहीं आसपास जाति या शहर को देख रहा हूँ। कहीं भी एक भी हमारी पूरी कई पीढियों में कोई महिला सती नहीं हुई। यदि लाखों महिलाओं में कोई एक सती हो जाती थी उसे प्रथा नहीं कहा जा सकता। बलपूर्वक सती होना तो हो सकता है कि करोड़ों में कोई एक मामला होता हो। लेकिन यह राजनीति के चाटुकार राममोहन राय ने अंग्रेजों को खुश करने के लिए सती प्रथा को हाईलाइट किया और सती प्रथा नाम से अपने राजनीतिक रोटी चमका कर अंग्रेजों को कानून बनाने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेजों के वही एजेंट स्वतंत्रता के बाद भी सत्ता में आए और उन्होंने सती प्रथा को एक बुराई के रूप में समाज का कलंक घोषित कर दिया। जबकि सती प्रथा नाम की कोई समस्या नहीं थी। आज भी हमारे राजनेता डकैती नहीं रोक पा रहे हैं, बलात्कार नहीं रोक पा रहे हैं, हमारे राजनेताओं को बलात्कार पर शर्म नहीं आती है, सती प्रथा रोकने के लिए बहुत उछलते हैं। मेरे विचार से सती प्रथा के जो भी विरुद्ध बात करता है, उस राजनेताओं की मूर्खता की निंदा होनी चाहिए। कहीं सती प्रथा नाम की ना कोई चीज थी, ना है, ना उसके लिए राज्य को कोई कानून बनाने की जरूरत है। यदि किसी को बलपूर्वक सती किया जाता है, तो सती होना अपराध नहीं है, बल प्रयोग अपराध है। बल प्रयोग के द्वारा अगर कोई सती किया जाए, तब अपराध है, और बिना सती किसी को जिंदा जला दिया जाए तो अपराध है। वर्तमान भारत में इस प्रकार की जिंदा जलाने की अनेक घटनाएं हो रही हैं लेकिन उनकी चर्चा नहीं होती, जितना सती प्रथा की होती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है की हमारे समाज व्यवस्था को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के पश्चिमी षड्यंत्र का हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए।

दहेज़ कोई सामाजिक बुराई नहीं:

दहेज कभी कोई सामाजिक बुराई ना रही है ना रहेगी। प्राचीन समय में जब कोई भी व्यक्ति नया परिवार बनाता था, तब उसे परिवार की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। वह नया परिवार विवाह के समय ही अस्तित्व में आता था। उस समय लड़के के माता-पिता अपने सामर्थ के अनुसार लड़की को दहेज के रूप में जेवर देते थे और लड़की के माता-पिता अपनी सामर्थ के अनुसार लड़के को दहेज के रूप में सब प्रकार का सामान देते थे। लड़की को मिला हुआ

सामान लड़की की व्यक्तिगत संपत्ति माना जाता था और लड़के को मिला सामान लड़के की संपत्ति माना जाता था। यही तो था दहेज, इसमें गलत क्या था? वर्तमान समय में आपने इस व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करके दहेज को तो रोकने का प्रयास किया और लंबे समय के लिए दोनों परिवारों के बीच संपत्ति के मामले में विवाद पैदा कर दिया। दहेज यदि आपसी सहमति या सौदेबाजी से होता है तो इसमें अपराध क्या है? यह मैं आज तक नहीं समझ सका। यदि दहेज में कोई सौदेबाजी भी होती है, तो वह सौदेबाजी किसी भी तरह से कोई अपराध नहीं है। वास्तव में अपराधी तो वे लोग हैं जो इस प्रकार की सौदेबाजी में अड़ंगा लगाते हैं, जो विरोध पैदा करते हैं। दहेज कानून पूरी तरह समाज विरोधी कार्य है। वर्तमान समय में तो वस्तु स्थिति यह हो गई है कि लड़कियों की संख्या घट जाने के कारण दहेज पूरी तरह समाप्त हो गया है। सामाजिक परंपरा के अनुसार लड़की वाले खर्च करते हैं, यह अलग बात है लेकिन विवाह में लड़कियों की तुलना में लड़के वाले अधिक खर्च कर रहे हैं। फिर भी मूर्ख लोग दहेज का हल्ला कर रहे हैं, जबकि दहेज कहीं है ही नहीं। दहेज तो अब लड़कियों को मिल रहा है, लड़कों को नहीं। लेकिन यही धूर्त लोग अब कहते हैं की लड़कियां बिक रही हैं। पहले कहते थे लड़के बिक रहे हैं। इन लोगों के पास कोई धंधा नहीं है इन्हें तो सिर्फ समाज को महिला और पुरुष में बांटना है। पहले लड़के बिकते थे अब लड़कियां बिक रही हैं, जबकि ना लड़के बिकते थे ना लड़कियां बिकती है। इसलिए मेरा यह सुझाव है की जो भी व्यक्ति दहेज का रोना रोता है, वह मूर्ख है और जो दहेज का विरोध करता है, वह धूर्त है। दहेज एक समाज व्यवस्था है, सामाजिक बुराई नहीं। यदि सौदेबाजी के बाद कोई बल प्रयोग करता है तो वह बल प्रयोग अपराध है, दहेज अपराध नहीं है। कोई गुंडा अगर बल प्रयोग करें और हमसे धन ले वह भी अपराध है, इसलिए दहेज को बदनाम करना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है।

बाल विवाह कभी समस्या कभी समाधान:

आज 20 अक्टूबर के प्रात: कालीन सत्र में हम सामाजिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कल ही हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह पर बहुत कुछ कहा है। मेरे इस संबंध में कुछ भिन्न विचार हैं। बाल विवाह स्थिति अनुसार समस्या है और परिस्थिति के अनुसार समाधान भी है। आबादी को घटाने का अच्छा समाधान बाल विवाह रोकना माना जाता है। दूसरी ओर बाल विवाह रोकने से परिवार टूटते हैं, तलाक बढ़ते हैं, बलात्कार भी बढ़ते हैं। इस तरह स्थिति अनुसार हम लाभ हानि का आकलन कर सकते हैं। वर्तमान भारत में आबादी का बढ़ना रुक गया है, अब कुछ वर्षों बाद आबादी घटनी शुरू हो जाएगी। उस स्थिति में हमें बाल विवाह को प्रोत्साहित भी करना पड़ सकता है। दूसरी ओर भारत में बहुत तेजी से बलात्कार बढ़ रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, तलाक बढ़ रहे हैं, पारिवारिक एकता छिन्न-भिन्न हो रही है। हम आबादी वृद्धि के कारण इन सब बुराइयों को भी किसी तरह सह रहे थे लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही है। किसी भी व्यवस्था का समाज पर प्रभाव शुरू होने में 50 वर्ष लग जाते हैं और 50 वर्षों में परिस्थितियाँ काबू के बाहर हो

जाती हैं। इसलिए बाल विवाह को वर्तमान परिस्थितियों में समस्या न मानकर समाधान मानना चाहिए। सरकार को अब इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि यदि मेरा विवाह 16 वर्ष की उम्र में नहीं हुआ होता तो हो सकता है कि मैं वैचारिक धरातल पर जिस ऊंचाई तक पहुंच सका हूँ, वहां तक नहीं पहुंच पाता। दूसरी ओर अब मेरे परिवार में विवाह की औसत उम्र 25 से भी अधिक हो गई है। इन दोनों स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि वर्तमान वातावरण में बाल विवाह को रोकना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि बाल विवाह न कभी बुराई थी, ना बुराई है, ना बुराई रहेगी। किस उम्र में विवाह करना है, यह लड़के लड़की की स्वीकृति परिवार की सहमति और समाज की अनुमति के आधार पर होना चाहिए, इसमें सरकार का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है। विशेष परिस्थिति में कुछ वर्षों तक सरकार ने हस्तक्षेप किया, वह स्वीकार्य हो सकता है लेकिन सामान्य परिस्थितियों में सरकार को हस्तक्षेप बंद कर देना चाहिए। इसलिए यह व्यवस्था व्यक्ति परिवार और समाज के आपसी संबंधों पर छोड़ देनी चाहिए।

छुआछूत का सामाजिक समाधान ही कारगर:

छुआछूत एक सामाजिक बुराई है यह लंबे समय से चली आ रही थी और उसके दुष्परिणाम दिख रहे थे छुआछूत को रोकने के लिए स्वामी दयानंद और गांधी ने बहुत अच्छे प्रयास किये। उसके परिणाम भी समाज में दिखने लगे थे लेकिन स्वतंत्रता के बाद छुआछूत के खिलाफ कानून बना दिया गया। सरकार छुआछूत रोकने में घुस गई। सामाजिक छुआछूत तो पहले से ही घटती जा रही थी और वह घट गई लेकिन सरकार के घुस जाने के कारण राजनीतिक छुआछूत बढ़ती चली गई। आज समाज में छुआछूत लगभग समाप्त है लेकिन छुआछूत के कानून आज भी बने हुए हैं। आज भी एक ऐसी जाति कायम हो गई है, जो छुआछूत को हथियार बनाकर दूसरों को दबाना चाहती है। मेरा यह मानना है कि राजनीति को सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। समाज धीरे-धीरे अपना समाधान कर लेगा। गांधी और दयानंद समाधान कर रहे थे श्रीराम शर्मा भी समाधान कर रहे थे सरकार ने घुसकर के समस्या पैदा कर दी। इसलिए अब भी समय है कि छुआछूत के सभी कानून हटा लिए जाए, समाज अपना समाधान कर लेगा। जो सरकार सुरक्षा की गारंटी नहीं दे रही है जो सरकार मिलावट और बलात्कार नहीं रोक पा रही है, वह सरकार छुआछूत रोकने का नाटक करती है। हमें नाटक की नहीं वास्तविकता की जरूरत है।

सामाजिक प्रथाओं का निर्माण परिस्थिति अनुसार हुआ:

आज हम बहु विवाह एक सामाजिक बुराई की चर्चा कर रहे हैं। धर्म और समाज की भूमिकाएं अलग-अलग होती है। धर्म सिद्धांतों को अधिक महत्व देता है तो समाज परिस्थितियों को। धर्म एक पत्नि व्रत को महत्व देता है तो समाज स्थिति अनुसार बहुपत्नी प्रथा की भी अनुमति देता था। मेरे विचार से बहु विवाह समस्या न होकर एक समाधान था। समाज में बहु विवाह को समाधान के

स्वरूप में माना गया था। उस समय पुरुष युद्ध में अधिक मरने के कारण तथा अनुलोम विवाह को सामाजिक स्वीकृति के कारण महिला पुरुष का अनुपात गड़बड़ था। अविवाहित महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक थी। समाज में स्थिति अनुसार बहु विवाह की अनुमति दी। पिछले एक दो सौ वर्षों में स्थिति बदली और धीरे-धीरे अपने आप बदलाव आने लगा तो अंग्रेजों ने इस प्रथा को बुराई बताकर इसके विरुद्ध अभियान चलाया। स्वतंत्रता के बाद तो हमारे राजनेताओं ने बहु विवाह को अपराध घोषित कर दिया

जबकि बहु विवाह स्थिति जन्य सामाजिक व्यवस्था मात्र है। बहु विवाह को अपराध घोषित करने के पहले हमारे राजनेताओं की नियत खराब थी, इसलिए उन्होंने इसे एक बुराई घोषित करके अपना स्वार्थ सिद्ध किया। राज्य व्यवस्था को इस प्रथा में कभी कोई दखल नहीं देना चाहिए था। वर्तमान भारत में महिलाओं की संख्या बहुत घटी है, यदि स्थिति अनुसार बहू पत्नी प्रथा शुरू करनी पड़े, तो राज्य क्या करेगा। मेरे विचार से राज्य को सामाजिक कार्यों से दूर रहना चाहिए।

सभी प्रकार की सामाजिक समस्यायों का समाधान मार्गदर्शक के पास:

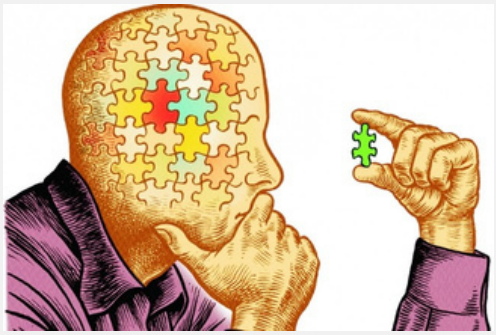

समाज में अनेक प्रथाएं परिस्थिति अनुसार बनती है और परिस्थिति अनुसार ही उनमें धीरे-धीरे बदलाव भी आता है प्रथाएं बनती भी धीरे-धीरे हैं और बदलाव भी धीरे-धीरे आता है। इन सामाजिक बदलाव में सबसे अधिक भूमिका मार्गदर्शकों की होती है, जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। क्योंकि एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जिस काल खंड में समाज के अन्य वर्ण सोते हैं, उस समय ब्राह्मण जगता है। और यदि ब्राह्मण सो जाता है, तब समाज के तीनों वर्ण जाग जाते हैं। वर्तमान समय में ब्राह्मण सो गया, इसलिए समाज के अन्य वर्णों को जागना पड़ रहा है। चिंता करनी पड़ रही है। यदि अब भी ब्राह्मण वर्ग जाग जाए अर्थात समाज का मार्गदर्शन करने लगे। अन्य तीन वर्णों को सामाजिक विषयों पर अधिक सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनका मार्गदर्शक जगा हुआ है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि वर्तमान सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए, मार्गदर्शकों को जग जाना चाहिए। इस समय हमें देश के लिए शहीद होने वाले क्रांतिकारियों की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, जितनी समाज के लिए चिंता करने की क्षमता रखने वाले मार्गदर्शकों की। राजनीति में दिन-रात सक्रिय नेता और धन कमाने की चिंता में सक्रिय व्यापारी आपको गली-गली मिल जाएंगे लेकिन समाज का निस्वार्थ मार्गदर्शन करने वाले मार्गदर्शक, आपको खोजने से भी जल्दी नहीं मिलेंगे। इसी का यह दुष्परिणाम है की आज धूर्त कम्युनिस्ट समाज का मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहा है और वह सफलतापूर्वक समाज को गलत दिशा में ले जा रहा है। इस समस्या का समाधान सिर्फ साम्यवाद का विरोध करने से नहीं होगा, क्योंकि यदि वैक्यूम होगा तो गंदी हवा वहां प्रवेश करेगी ही। इसका समाधान यही है कि हम वैक्यूम को समाप्त करें, हम अच्छे मार्गदर्शकों से उस शून्य को भर दें जिससे साम्यवादी गंदी हवाएं वहां प्रवेश न कर सके।

सामाजिक, संवैधानिक, आर्थिक विषयों पर मुनि जी के लेख

1-हृदयपरिवर्तन, अनुशासन और शासन के तीनों आधार पर हो व्यवस्था:

क्या कानून से शराब पर प्रतिबंध होना चाहिए?आमतौर पर मैं यह देखता हूँ कि हमारे देश के आम लोग और धर्मगुरु भी हमेशा शराब कानून से रोकने की वकालत करते हैं। मैं इसके पक्ष में कभी नहीं रहा। मेरा यह विचार रहा है की शराब बुरी चीज है शराब बंद होनी चाहिए, लेकिन कानून से नहीं हृदय परिवर्तन से बंद होनी चाहिए। समाज का ढांचा तीन प्रकार का है, उसमें एक है सामाजिक व्यवस्था, एक है धार्मिक व्यवस्था और एक है राजनैतिक व्यवस्था। इन तीनों का क्रम भी है। यदि कोई व्यक्ति शराब पीता है, तो धार्मिक व्यवस्था का कार्य है कि वह उसे शराब पीने के विरुद्ध सहमत करें, अनुशासित नहीं। धर्म हमेशा विचार परिवर्तन का काम करता है, अनुशासन का नहीं। यदि कोई व्यक्ति धर्म गुरुओं की बात नहीं मानता है और सामाजिक नियमों के विरुद्ध कार्य करता है, तब समाज का काम है कि उसे अनुशासित करे, बहिष्कृत करें। यदि उसके बाद भी कोई व्यक्ति शराब पीता है तब उसे उस स्थिति में ही दंडित किया जाता है, जब वह कोई अपराध करता है। प्रश्न उठता है कि क्या सरकार को शराब रोकनी चाहिए, मेरे विचार से नहीं। सरकार को अपराध रोकना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर गाली देता है, तो हम शराब को नहीं रोक सकते गालियों को रोक सकते हैं। क्योंकि गाली कोई शराबी भी दे सकता है और कोई बिना शराब पीने वाला भी दे सकता है। गाली देना अपराध है, शराब पीना अपराध नहीं माना जाना चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे निकम्मे धर्मगुरु और समाप्त होती रही समाज व्यवस्था ने अपनी कमजोरी छुपाने के लिए सब कुछ राज्य के जिम्में सुपुर्द कर दिया, यह एक बहुत बड़ी बुराई है। मेरा आपसे फिर सुझाव है कि कहीं आप भी ऐसी गलती ना कर रहे हो। इसलिए आप कभी शराब बंदी में सरकार का दखल देने का समर्थन मत कीजिए अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि आप निकम्मे हैं, आपका समाज पर कोई प्रभाव नहीं है। आप सब काम सिर्फ सरकार से कराना चाहते हैं, कानून से चाहते हैं, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। उचित होगा की धार्मिक कार्य 'धर्म' करे, समाज का काम 'समाज' करे और राज्य सिर्फ 'सुरक्षा और न्याय' तक सीमित रहे।

2-जातिवाद और छुआछूत का प्राकृतिक समाधान आरक्षण नहीं:

सायं कालीन सत्र में हम इस बात की चर्चा करेंगे की किस तरह नेहरू अंबेडकर ने मिलकर गांधी और देश की जनता को धोखा दिया। गांधी और भारत की आम जनता जातिवाद और छुआछूत का एक प्राकृतिक समाधान बता रही थी लेकिन नेहरू अंबेडकर ने मिलकर यह दबाव डाला की इन बीमारियों का समाधान सिर्फ आरक्षण है। इन दोनों ने एक कंपनी खोलकर आरक्षण के नाम पर समाज को दवाइयां देना शुरू कर दी। गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पटेल आदि बड़ी मुश्किल से 10 वर्षों के लिए आरक्षण पर सहमत हुए थे।

अन्यथा सारी दुनिया जानती थी कि आरक्षण इस बीमारी का इलाज नहीं है। यह बीमारी तो धीरे-धीरे सामाजिक स्तर पर ही खत्म होगी। दुर्भाग्य से गांधी, पटेल, राजेंद्र प्रसाद या अन्य नेता चले गए और इन धूर्तो ने आरक्षण रूपी दवा को 70 वर्षों तक लगातार इसी तरह चलाते रहे। आज इन दोनों के वंशजों ने मिलकर यह घोषित कर दिया है कि अब आरक्षण की मात्रा और बढ़ानी पड़ेगी बिना बढ़ाये इस बीमारी का इलाज नहीं होगा। इन दोनों धूर्तों ने मिलकर अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव सरीखे लोगों को भी अपनी दावा कंपनी का साझेदार बना लिया है। अब यह सब मिलकर समाज पर यह दबाव डाल रहे हैं कि आरक्षण का अब तक प्रभाव नहीं पड़ा और आरक्षण को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। हम सब लोग यह अच्छी तरह मान रहे हैं कि आरक्षण इस बीमारी का समाधान ना था ना है, लेकिन अपनी दुकानदारी के लिए यह लोग आरक्षण बढ़ाना चाहते हैं। मैं भारत की जनता से यह निवेदन करता हूँ कि आरक्षण की मात्रा बढ़ाने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए, पुरजोर विरोध किया जाए। यह देशद्रोह है, यह समाजद्रोह है, यह लोग स्वार्थी तत्व है। किसी भी प्रकार का आरक्षण बढ़ाने की मांग का खुलकर विरोध कीजिए।

3-आपस में गुत्थमगुत्था हो गई है धर्म, राज्य और समाज व्यवस्था :

हमारी जो संपूर्ण समाज व्यवस्था है इस समाज व्यवस्था में धर्म समाज और राज्य की अलग अलग भूमिका होती है। इन तीनों भूमिकाओं को कभी भी एक में नहीं मिलाया जा सकता। दुर्भाग्य से वर्तमान समय में यह गलती हो गई है कि हमने धर्म, समाज और राज्य तीनों को एक में इकट्ठा कर दिया, और तीनों की अलग-अलग पहचान नहीं रही। राज्य शब्द वास्तव में इस अर्थ में माना जाता है कि 'राज्य' हम तंत्र को मानते हैं। तंत्र को ठीक-ठाक चलने के लिए जो मार्ग होता है, वह मार्ग लोकतंत्र कहा जाता है, लोकतंत्र हमारा मार्ग होता है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य होता है 'सुरक्षा और न्याय'। सुरक्षा और न्याय को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी तंत्र को होती है और तंत्र का मार्ग लोकतंत्र होता है। इस तरह लोकतंत्र को यदि मार्ग न मानकर लक्ष्य मान लिया जाएगा तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। लोकतंत्र तीन भागों को मिलाकर बनता है, उन तीनों को न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका कहते हैं। सच बात यह है कि यह तीनों लोकतांत्रिक तरीके के हिस्से हैं। एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि लोकतंत्र क्या है, यह परिभाषित कौन करता है? हमारे सामने कठिनाई यह आ गई है की न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों ही लोकतंत्र को परिभाषित करना चाहते हैं। जब कि लोकतंत्र को परिभाषित करना इनका काम नहीं है, बल्कि इनका काम है लोकतंत्र को फॉलो करना। लोकतंत्र मार्ग है, उस मार्ग को परिभाषित करने की उनकी जिम्मेदारी नहीं है। 'लोकतंत्र क्या है?' इसको परिभाषित लोक या लोक के द्वारा कोई अन्य एतदर्थ समिति ही कर सकती है, कोई भी समिति लोकतंत्र को डिफाइन नहीं कर सकती। दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र को परिभाषित करने की जिम्मेदारी संविधान

सभा की है तंत्र की नहीं। वर्तमान समय में तंत्र ही लोकतंत्र को परिभाषित कर रहा है, इसलिए यह सारी समस्याएं पैदा हो गई है। हालत इतनी खराब हो गई है, कि कार्यपालिका ही अपने को सरकार या राज्य कहने लगी है। जबकि राज्य तो तंत्र होता है। राज्य न न्यायपालिका होती है, ना विधायिका होती है, और ना ही कार्यपालिका होती है। इसलिए यदि न्यायपालिका अपने को सर्वोच्च कहती है, वह न्यायपालिका पूरी तरह गलत है। यदि कार्यपालिका और विधायिका अपने को सर्वोच्च कहते हैं, तो वह भी गलत है। क्योंकि सर्वोच्च तो होता है 'तंत्र' और तंत्र के ऊपर सर्वोच्च होता है 'संविधान'। संविधान के ऊपर सर्वोच्च होता है 'समाज'। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका इनकी कहीं गिनती नहीं है। यह तीनों अपने को सर्वोच्च कहने लगते हैं, यह बड़ी हास्यास्पद बात है। सर्वोच्चता का यह सिद्धांत बिल्कुल ही भ्रामक है। अब समय आ गया है कि अपने को सर्वोच्च करने वाली न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की हम सामाजिक स्तर पर निंदा करें। सर्वोच्च समाज होता है, धर्म नहीं, राष्ट्र नहीं। धर्म या राष्ट्र किसी को भी समाज से ऊपर कहना, बिल्कुल ही गलत धारणा है।

5-हमारा वर्तमान संविधान सभी समस्याओं की जड़ है:

हमारे देश की राजनीति में दो लोग बहुत बड़े धूर्त निकले। उनमें एक पंडित नेहरू, दूसरे इंदिरा गांधी यह दोनों तानाशाही प्रवृत्ति के थे और बहुत अधिक चालाक भी थे। इन दोनों ने खुलकर संविधान का दुरुपयोग किया किंतु नेहरू परिवार में दो लोग नासमझ भी निकले। जिन्हें हम शरीफ कह सकते हैं, उनमें एक राजीव गांधी और दूसरे राहुल गांधी। इन दोनों का धूर्त कम्युनिस्टों ने हमेशा उपयोग किया। हमारा संविधान इतना गलत निकला की धूर्तों ने भी इसका उपयोग किया और मूर्खों का भी किसी के माध्यम से उपयोग किया गया। स्पष्ट है कि कम्युनिस्टों ने स्वतंत्रता से लेकर आज तक इस रद्दी संविधान का भरपूर उपयोग किया। हमारा यह कैसा संविधान है कि संविधान के लागू होने के 1 वर्ष बाद ही पंडित नेहरू ने न्यायपालिका को अपाहिज बना दिया। हमारी न्यायपालिका 1973 तक बिल्कुल गुलाम बन गई थी। इसी तरह नेहरू की बेटी इंदिरा ने 1971 में राष्ट्रपति के पद को अपंग बना दिया। राष्ट्रपति की पूरी शक्ति इंदिरा गांधी ने अपने पास एकत्रित कर ली। आश्चर्य है कि हमारा संविधान इन दोनों को नहीं रोक पाया। बाद में इस संविधान का न्यायपालिका ने दुरुपयोग किया और आज तक न्यायपालिका इस संविधान का दुरुपयोग कर रही है। यह कैसा संविधान है कि राजीव गांधी के कार्यकाल में सोनिया के बहकावे में एक दल-बदल विधेयक लाकर भारत के आम लोगों पर लाद दिया गया। यह कैसा संविधान है कि एक नासमझ राहुल गांधी इस संविधान को ही खतरे में बता रहा है। इसका अर्थ यह हुआ की नेहरू से लेकर और राहुल गांधी तक के खानदान का ही ठेका है। वे जब चाहे संविधान में संशोधन कर सकते हैं लेकिन यदि दूसरा संविधान का संवैधानिक तरीके से भी संशोधन करना चाहे, तो यह आसमान सर पर उठा लेते हैं। क्योंकि संविधान संशोधन का ठेका तो नेहरू खानदान का ही है और यह ठेका उन्हें कम्युनिस्टों ने दिया है। जो भी दबंग निकला, उसने इस संविधान का मनमाना उपयोग किया, चाहे नेहरू हों, इंदिरा हों, शेषन हों, न्यायपालिका हों, कम्युनिस्ट हों, या कोई भी हो। सारे धूर्त इस संविधान की दुहाई देकर ही समाज को गुलाम बना रहे हैं। इसलिए समय आ गया है कि अब संविधान को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाए। संविधान संशोधन का अधिकार एक अलग व्यवस्था को हो, जिसमें तंत्र की निर्णायक भूमिका न हो।

6-आयात-निर्यात नीति में बदलाव का स्वागत होना चाहिए :

भारत सरकार ने पहली बार हिम्मत करके, तिलहन अनाज की आयात-निर्यात नीति में इस प्रकार बदलाव किया कि पिछले एक सप्ताह में खुले बाजार में सरसों या कुछ अन्य अनाजों के दाम बहुत तेजी से बढ़े। स्वाभाविक है कि इससे किसानों को लाभ होगा। पिछली सरकारें निर्यात कम करती थी और आयात अधिक करती थी, इससे हमारे किसानों को फसलों के मूल्य बहुत कम मिलते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 20 वर्ष पहले बाजार में धान की कीमत करीब रू.500 के आसपास रहती थी। अभी 2-3 वर्ष पहले ही छत्तीसगढ़ में धान का बाजार मूल्य रू.1400 और सरकार का खरीद मूल्य रू.2000 हुआ करता था। इस तरह किसानों को बहुत नुकसान होता था, अब हमारी केंद्र सरकार की नीतियां बदल जाने से बाजार मूल्य बहुत तेजी से आगे जा रहा हैं, सरकार निर्यात बढ़ा रही है। सरकार ने पाम आयल का आयात कम कर दिया है, जिससे भारत के किसानों को बहुत लाभ होगा। सरकार ने चावल, गेहूँ का भी निर्यात बढ़ा दिया है, इससे भी किसानों को बहुत लाभ होगा। यहां तक की बाजार में सब प्रकार की सब्जियों के दाम भी बढ़े हैं। प्याज का भी निर्यात खोल दिया गया है। इस तरह भारत सरकार की आयात-निर्यात की नीतियां बहुत ठीक दिशा में जा रही हैं। जहां हमारे विरोधी पक्ष के लोग बाजार मूल्य कम रखने के पक्षधर हैं, वहीं भारत सरकार बाजार मूल्य को खुला छोड़ कर, बहुत ही ठीक दिशा में काम कर रही है। हमारे किसानों को सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हम किसानों को बाजार मूल्य अगर ठीक मिलता रहे तो हम उस सरकार का समर्थन करते हैं। अभी 15 दिन पहले सरकार ने जिस तरह प्याज, चावल के निर्यात और पाम तेल के आयात की नीतियों में बदलाव किया, उसके अच्छे परिणाम बाजार में दिखना शुरू हो गए हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ की अनेक विपक्षी दल और किसानो के नाम पर मुफ्त का खाने वाले लोग इस नीति के खिलाफ महंगाई का रोना धोना शुरू कर देंगे। क्योंकि यह महंगाई शब्द ही तो उन लोगों का रोजी-रोटी का सवाल है, लेकिन भारत का आम किसान इस बात को अच्छी तरह समझता है कि सरकार ठीक दिशा में कार्य कर रही है।

7-राजनैतिक नफा-नुकसान के लिए अपराधियों का संरक्षण ठीक नहीं:

अभी-अभी समाचार मिला है की बहराइच में जिन लोगों ने उस युवक की हत्या की थी, उनमें से प्रमुख आरोपियों में पांच गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनमें भी दो लोगों को गोली लगी है। जिसमें से एक की मृत्यु बताई जाती है। यदि यह बात सच है तो हम इस पवित्र कार्य के लिए योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हैं। यह लोग बिना पुलिस की गोली के मानने वाले जीव ही नहीं है क्योंकि इन लोगों को जान की परवाह नहीं होती है। इस घटना की अखिलेश यादव ने निंदा की है क्योंकि अखिलेश यादव चाहते थे कि इन दोनों को ना मारा जाए और किसी तरह इन्हें पकड़ कर कोर्ट के हवाले कर दिया जाए। जहां से अखिलेश की सरकार बनने के बाद, ऐसे लोगों को सबको माफी दे दी जाएगी, बचा लिया जाएगा। लेकिन यदि अखिलेश यादव की बात में यह सच्चाई भी हो की जो मुठभेड़ हुई है, वह फर्जी है, तो अखिलेश यादव को यह बताना चाहिए कि क्या मरने वाला गोली चलाने में शामिल नहीं था?और यदि वह गोली चलाने में शामिल था तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पर अखिलेश को दुख क्यों है?चाहे वह फर्जी मुठभेड़ में मारा गया अथवा वह फांसी पर चढ़ाया गया इससे अंतर क्या पड़ता है?मैं मानता हूँ कि जिस अपराधी को इस तरह तत्काल सजा हुई, वह कानून के अनुसार ठीक नहीं थी लेकिन क्या अपराधियों का इस तरह निर्दोष छूट जाना, अखिलेश की नजर में उचित है? क्या अखिलेश अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए इस तरह अपराधियों को प्रोत्साहित करते रहेंगे?मैं तो उस दिन और अधिक प्रसन्न होता, जब इस तरह के सभी अपराधियों को गैर कानूनी तरीके से गोली मार करके, समाज में शांति का वातावरण बना दिया जाता। मैं कई बार लिख चुका हूँ कि यदि इस प्रकार के फर्जी एनकाउंटर रोकना उचित दिखता है, तो हमारी न्यायिक व्यवस्था में आमूल चूल बदलाव करना पड़ेगा अन्यथा भारत की सारी जनता फर्जी एनकाउंटर का मेरी तरह समर्थन करने लग जाएगी। हम कानून की रक्षा के लिए न्याय के साथ खिलवाड़ करने से सहमत नहीं है।

8-असफल न्यायपालिका ने कार्यपालिका को मजबूर किया:

यह बात सच है कि पूरे भारत में योगी आदित्यनाथ का सम्मान बढ़ रहा है योगी आदित्यनाथ का सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण कार्य प्रशंसनीय है और वह है एनकाउंटर या बुलडोजर चलाना। योगी आदित्यनाथ कानून से हटकर अपराधियों को तत्काल दंड दे रहे हैं। मैं आपको यह बात भी स्पष्ट कर दूं कि यदि नरेंद्र मोदी ने 2002 में कानून अपने हाथ में लेकर सांप्रदायिक मुसलमानों को दंडित नहीं कराया होता तो आज नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री नहीं होते और योगी आदित्यनाथ की भी इतनी लोकप्रियता नहीं बढ़ती। ऋषिकेश के एक मेरे मित्र ने तो यहां तक सुझाव दिया कि अल्पकाल के लिए सभी न्यायालय को बंद कर दिया जाए। धीरे-धीरे देश में यह मांग उठ र ही है कि न्यायालय वर्तमान भारत की न्याय

व्यवस्था के लिए बोझ बन गए हैं। क्यों ना न्यायपालिका को रोककर सारे अधिकार अल्पकाल के लिए कार्यपालिका को दे दिए जाएं। यद्यपि यह व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं है लेकिन जब न्यायपालिका न्याय करने का कार्य छोड़कर व्यवस्था में लग जाती है तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिका को न्याय का अधिकार देना मजबूरी हो जाती है। न्यायपालिका वर्तमान समय में कर क्या रही है। न्यायपालिका प्रदूषण की चिंता कर रही है सड़कों की चिंता कर रही है व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों की चिंता कर रही है न्यायपालिका इस बात की बहुत चिंता कर रही है की विवाहित महिला और पुरुष के बीच में असहमत संभोग अपराध हो या नहीं। न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की भी बार-बार समीक्षा करती है न्यायपालिका यह कभी नहीं सोचती उसका काम न्याय देना है व्यवस्था नहीं। न्यायपालिका के लोग सस्ती लोकप्रियता के शिकार बन गए हैं और किसी तरह अपना समय काट रहे हैं। इसलिए भारत की जनता को वर्तमान वातावरण में इस बात पर गंभीरता से विचार करना पड़ रहा है कि क्या न्यायपालिका के सुधरते तक न्यायिक प्रक्रिया को कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए क्या सारे अधिकार कार्यपालिका को दे दिए जाएं। कार्यपालिका ही एक स्वतंत्र न्यायपालिका बनाकर दंड देना शुरू करें। अब भी समय है कि भारत की न्यायपालिका लोकतंत्र की सुरक्षा करने के लिए अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करें अन्यथा भारत की जनता लोकतंत्र में संशोधन करने पर भी विचार कर सकती है।

9-आन्दोलनकारी अराजकतावादी प्यादों का हश्र:

हम सरकारों को देशभक्ति के नाम पर मनमाना टैक्स देते रहे और सरकार राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन ब्लैकमेल करने वालों पर धन लुटाती रहे यह किसी भी स्थिति में उचित मार्ग नहीं है। इस विषय पर हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं कि किस तरह सरकारी कर्मचारी, नेता, महिलाए, किसान के नाम पर ब्लैकमेल करते रहे हैं। आज पर्यावरणविद् वांगचुक के नाटक के बाद यह भेद खुला की किसानों का जो आंदोलन करीब साल भर से चल रहा है, वह राजनीतिक स्वार्थ के लिए था। किसान नेता चढ़ूनी ने यह बात साफ कर दी कि हम किसानों ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया तो कांग्रेस पार्टी ने हमको धोखा दिया। हमें हरियाणा में एक भी टिकट नहीं दिया, जबकि हम टिकट के लिए ही सारा आंदोलन कर रहे थे। इसी तरह बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भी कुछ पहलवानों ने लगभग 2 साल से नाटकबाजी की। कभी जंतर मंतर पर ड्रामा किया, तो कभी इन लोगों ने हरिद्वार में मेडल बटने का नाटक किया। तब सारा भेद खुल गया, जब आज इन तीनों में से एक खिलाड़ी साक्षी मलिक ने समाज के सामने यह रहस्य खोल दिया कि विनेश फोगाट और पूनिया इन दोनों का राजनीतिक स्वार्थ था और इन दोनों के साथ ही मैं भी जुड़ गई थी। मेरे साथ इस

मामले में धोखा हुआ और सारी लड़ाई ना पहलवानों की थी, ना महिलाओं की थी, यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई थी। किसानों के विषय में भी और महिलाओं के विषय में भी मैंने लगातार कई बार लिखा है कि यह सब राजनीतिक दुकानदारी है इसके अलावा कुछ नहीं है। इन दुकानदारों के फेर में पड़कर कुछ लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। हम लोगों के बीच में विभाजन हो जाता है और यह दुकानदार लोग अपना माल मलाई खाते रहते हैं। समय आ गया है इन सभी ब्लैकमेल करने वालों की पहचान की जाए और इससे किसी तरह समाज को मुक्ति दिलाई जाए।

10-भारतीयों की शांति में कम्युनिस्ट, मुस्लिम गठजोड़ सबसे बड़ी बाधा:

हम भारतीयों कि अधिकांश आबादी हिंदुओं की है। हम वर्ण व्यवस्था मानते हैं। हम शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। हमारी इस सारी शांतिपूर्ण व्यवस्था में सबसे अधिक बाधा 'कम्युनिस्ट विचारधारा' से आई। क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा ना समाज व्यवस्था को मानती है ना समाज के अस्तित्व को स्वीकार करती है। इसलिए पिछले 100 वर्षों से कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रवेश के बाद, हमारी पूरी समाज व्यवस्था पूरी तरह छिन्न-भिन्न हो गई। हमारी दूसरी सबसे बड़ी समस्या है 'मुस्लिम संगठनवाद'। मुसलमानों के पास कोई विचारधारा नहीं है कोई चिंतन नहीं है, उनके पास केवल संगठन शक्ति है। मुसलमान आंख बंद करके साम्यवादियों के साथ जुड़ जाते हैं, साम्यवादियों की बंदूक और मुसलमान का कंधा हो जाता है। इसलिए साम्यवाद और इस्लाम के गठजोड़ के कारण हम बहुत परेशान हैं। हमारे सामने सबसे बड़ा संकट पैदा किया 'नेहरू परिवार' ने। नेहरू परिवार ने इन दोनों के साथ जुड़कर राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमारी सारी समाज व्यवस्था, शांति व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था सबको चौपट कर दिया। वर्तमान में राहुल गांधी भी निरंतर इसी दिशा में जा रहे हैं। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि राहुल गांधी एक खतरनाक खेल-खेल रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी इन दोनों समाज विरोधी तत्वों को भारत में से तो बचा सकते हैं लेकिन साम्यवाद अमेरिका से नहीं बच सकेगा और इस्लाम इजराइल से नहीं बच सकेगा। अमेरिका और इजरायल की शक्ति से ना राहुल गांधी निपट सकते हैं ना पूरा नेहरू खानदान निपट सकता है। बल्कि राहुल गांधी इन दोनों को बचाते बचाते अपनी राजनीति को शहीद कर देंगे। इसलिए मेरी राहुल गांधी को सलाह है कि वह राजनीतिक स्वार्थ के लिए इतना गंदा खेल ना खेलें।

11-हिन्दू, सामाजिकता को और मुसलमान संगठन को महत्व देता है:

भारत में हिंदू और मुसलमान की जीवन पद्धति में कितना अंतर है, यह बात तीन घटनाओं से स्पष्ट हो सकती है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक मुसलमान पुलिस वाले की पत्नी और बच्चे की पांच लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। हत्या करने वाले सभी हिंदू थे और कांग्रेस पार्टी से प्रत्यक्ष जुड़े थे। सूरजपुर शहर में अधिकांश हिंदू रहते हैं। उस जिले के लोगों ने खुलकर उस मुस्लिम पुलिस वाले का साथ दिया। एक दूसरी घटना में कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई ने मुंबई में एक बड़े मुसलमान नेता की हत्या कराई। लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या को हिंदू-मुसलमान से जोड़ने की पूरी कोशिश की। लेकिन अधिकांश हिंदुओं ने लॉरेंस बिश्नोई का विरोध किया है। वहीं एक तीसरी घटना में बहराइच में कुछ मुसलमानों ने मिलकर एक हिंदू युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहां के अधिकांश मुसलमान हत्यारों के पक्ष में और हिंदू विरोध में एकजुट हो गए। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान के बीच धुररुवीकरण बढ़ रहा है, जबकि देश के अन्य भागों में अब तक ऐसा साफ नहीं है। गंभीर प्रश्न यह है कि इस धुररुवीकरण में अधिक दोषी मुसलमान है या हिंदू। मेरे विचार से 70 वर्षों से मुट्ठी भर हिंदू, हिंदू राष्ट्र की दिन-रात आवाज लगाते हैं। कुछ पेशेवर धर्मगुरु भी इनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, लेकिन भारत का तीन चौथाई हिंदू आज भी समान नागरिक संहिता के पक्ष में खुलकर खड़ा है, हिंदू राष्ट्र के पक्ष में नहीं। आज भी कट्टरवादी हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं का बहुमत स्पष्ट दिखता है। दूसरी ओर भारत में संविधान से भी ऊपर शरिया को मानने वाले मुसलमान का प्रतिशत तीन चौथाई से भी ज्यादा है। भारत के आम मुसलमानों ने कट्टरवादी मुसलमानों के खिलाफ खुलकर बोलने वालों की संख्या नाम मात्र ही बची है। इस हिंदू-मुसलमान के बीच कट्टरवाद की खाई को पाटने की सबसे अच्छी आधारशिला समान नागरिक संहिता हो सकती है, किंतु मुस्लिम वोटो की लालच में विपक्ष इस खाई को लगातार चौड़ा करना चाहता है। धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं बनना चाहिए, ऐसी मांग हम 70 वर्षों से करते आ रहे हैं। हमारी मांग का विरोध सावरकरवादियों ने भी किया और कट्टरवादी मुसलमानों ने भी। लेकिन अब संघ और नरेंद्र मोदी मिलकर धर्म निरपेक्ष कानून के पक्ष में खड़े हो गए। दूसरी ओर राहुल, अखिलेश सरिखे लोग भी अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के आधार पर धर्मनिरपेक्षता का विरोध करने लगे हैं। मेरे विचार से राहुल, अखिलेश को इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए। धर्म के आधार पर समाज का विभाजन तात्कालिक रूप से भले ही लाभ दे दे, लेकिन दीर्घकालिक रूप से वह नुकसान ही करेगा।

हिंदू अपने को समाज का मानता है, वह चाहता है कि जीवन भर समाज में शराफत की सुरक्षा और अपराधियों पर अंकुश लगाने के कार्य में मदद करता रहे। हिंदू-धर्म को समाज व्यवस्था का माध्यम मानता है। मुसलमान हमेशा समाज से धर्म को ऊपर रखता है।

मुसलमान धर्म के लिए समाज विरोधी कार्य भी कर सकता है, हिंदू नहीं कर सकता। मुसलमान धर्म के लिए हमेशा मरने मारने को तैयार रहता है। अभी-अभी आपने देखा होगा की किस तरह याह्यासिनवार ने 1200 यहूदियों का कत्लेआम किया और प्रसन्नता व्यक्त की। मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस समय 1 वर्ष पहले यह हत्याकांड हुआ, तब दुनिया भर के मुसलमानों ने कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष खुशी जाहिर की थी। आज वही मानवता का कसाई याह्यासिनवार मर गया। सारी दुनिया के सभी धर्म के लोगों ने उसकी मृत्यु पर प्रसन्नता व्यक्त की है क्योंकि एक खतरनाक अपराधी मर गया। मुझे बहुत आश्चर्य होता है की मुसलमान कितना मूर्ख होता है। यह इस बात से सिद्ध होता है की 100 बंधकों को छोड़ देने की अपेक्षा मुसलमान ने 40,000 से अधिक अपने लोगों की हत्या स्वीकार कर ली। दुनिया भर के किसी भी मुस्लिम देश ने किसी भी मुस्लिम नेता ने कभी याह्यासिनवार से यह नहीं कहा कि तुम इन 100 बंधकों को जिंदा छोड़ दो और हजारों मुसलमानों की जान बचा लो। अब भी यह समय है, यदि मुसलमान अकल से काम ले। याह्यासिनवार के मरने के बाद, यह हमास कट्टरपंथी मुसलमान अब अपाहिज महसूस कर रहे हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े मुर्ख हैं कि 100 लोगों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जबकि इजराइल 100 लोगों के छोड़ने के बदले युद्ध बंद करने को तैयार है। मेरी मुसलमानों को सलाह है की अकल से काम ले। हर जगह दंड और बंदूक काम नहीं आता, मुसलमानों के कत्लेआम से वे सीख ले और समाज को धर्म से ऊपर मनाना शुरू कर दें, तो सारी दुनिया में खून खराबा रुक जाएगा। दुनिया के मुसलमानों को धर्म से ऊपर समाज को मानना ही होगा, अन्यथा उनके सामने अस्तित्व का खतरा बना रहेगा।

12-मार्गदर्शक की तार्किकता उसका गुण:

मार्गदर्शक अर्थात ब्राह्मण के लिए कुछ विशेष गुण बताए गए हैं उनमें मैं तीन चार की चर्चा करता हूँ। 1. ब्राह्मण मर सकता है, मार नहीं सकता, 2. ब्राह्मण बुद्धि प्रदान होता है, भावना प्रधान नहीं, 3. ब्राह्मण ज्ञान देने और ज्ञान लेने के लिए सदा तैयार रहता है, 4. ब्राह्मण आवश्यकता से अधिक धन और शक्ति एकत्रित करने की इच्छा नहीं रखता, 5. ब्राह्मण न शरीफ होता है ना चालाक होता है, ब्राह्मण को हमेशा समझदार होना चाहिए और भी ब्राह्मण के कुछ गुण हो सकते हैं। वर्तमान समय में जो लोग अपने को धर्मगुरु कहते हैं, कभी भी विश्वामित्र बनने को तैयार नहीं है, वशिष्ठ और विदुर बनने को तैयार नहीं है। उन्हें गुलेल चलाना भी नहीं आता और वह समाज में हिंसा का उपदेश देते हैं, ऐसे लोग ढोंगी है। जो ब्राह्मण समाज में हिंसा के लिए प्रेरित करता है, वह ब्राह्मण है ही नहीं। उसे अपने को क्षत्रिय घोषित कर देना चाहिए। ब्राह्मण और सन्यासी इन सबको सत्ता की राजनीति से दूरी बनाकर रखनी चाहिए अथवा उन्हें अपने को राजनीतिज्ञ मान लेना चाहिए। वर्तमान भारत की

समस्याओं के प्रणेता भी ब्राह्मण माने जाते हैं और समाधान भी ब्राह्मण ही कर सकते हैं। ब्राह्मण के अंदर अद्भुत तर्क शक्ति होनी चाहिए। दुनिया में तर्क शक्ति के मामले में सिर्फ साम्यवादी ही आगे हैं, अन्य कोई भी वर्ग तर्कशक्ति का सहारा नहीं लेता। इसलिए हर साम्यवादी सबसे अधिक ब्राह्मण की बुराई करता है, क्योंकि हर कम्युनिस्ट जानता है कि ब्राह्मण ही तर्क के आधार पर कम्युनिस्टों का मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए कम्युनिस्ट हर सामाजिक क्षेत्र में सब काम छोड़कर ब्राह्मण को ही गाली देता है। इसका मुख्य कारण यही है कि कम्युनिस्ट ब्राह्मणों की तर्कशक्ति से डरता है। जैसे-जैसे हमारे देश का ब्राह्मण तर्क शक्ति में कमजोर होता जा रहा है, वैसे-वैसे साम्यवाद बढ़ रहा है। आर्य समाज ने तर्क शक्ति के महत्व को समझा लेकिन हमारे ब्राह्मणों ने साम्यवाद की जगह, आर्य समाज का ही विरोध करना शुरू कर दिया। जबकि आर्य समाज, साम्यवादियों से अच्छा मुकाबला कर सकता है। आर्य समाज ने भी ब्राह्मणों के विरोध के कारण अपनी सारी शक्ति हिंदुओं के खिलाफ लगा दी। सच्चाई यह है की मूर्ति पूजा एक निरर्थक कार्य है, सार्थक नहीं, अनर्थ नहीं। आर्य समाज ने मूर्ति पूजा को अनर्थ घोषित कर दिया और उसके पीछे सारी शक्ति लगा दी। मूर्ति पूजा कोई अच्छा कार्य नहीं है, और बुरा कार्य भी नहीं है। आर्य समाज ने जिस तरह वर्तमान वर्ण व्यवस्था की बुराइयों का विरोध किया, उस तरह उसका नया विकल्प नहीं दे सका। जबकि किसी भी बुराई का विरोध करने के साथ-साथ उसका विकल्प भी देना चाहिए। इसलिए मार्गदर्शक मंडल लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है कि हम वर्ण व्यवस्था का एक विकल्प दें। हम भावनाओं की जगह तर्क शक्ति को आगे लावे। हम साम्यवाद का तर्कशक्ति के आधार पर मुकाबला करने की बौद्धिक शक्ति विकसित करें, हम शारीरिक व्यायाम के साथ-साथ मानसिक व्यायाम का भी प्रशिक्षण दें। इसीलिए मार्गदर्शक मंडल की पूरी टीम ज्ञान यज्ञ के माध्यम से प्रतिदिन रात को 8:00 बजे से 9:00 तक 1 घंटे जूम पर मानसिक व्यायाम का प्रशिक्षण करती है, क्योंकि हम बुराई का सिर्फ विरोधी ही नहीं विकल्प भी देना चाहते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हम धीरे-धीरे एक ऐसा ग्रुप तैयार कर सकेंगे जो राजनीति सहित समाज के सभी वर्गों के मार्गदर्शन में अग्रणी भूमिका अदा कर सके।

13-साम्यवाद और सावरकरवाद में समानताएं:

हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि साम्यवाद और सावरकरवाद में किस तरह की समानता है और किस तरह की असमानता है। मैंने अपने जीवन में साम्यवादियों से भी नजदीक का संबंध रखा और सावरकरवादियों से भी। दोनों के गुण दोष मैंने गंभीरता से समझा हैं, मुझे दोनों में ही कई समानताएं दिखती हैं। दोनों ही हिंसा और असत्य पर पूरा विश्वास करते हैं, दोनों ही सत्ता का केंद्रीकरण चाहते हैं, दोनों ही वर्ग संघर्ष को बढ़ाना चाहते हैं, दोनों ही श्रम शोषण के पक्षधर हैं, दोनों ही सामाजिक व्यवस्थाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, दोनों ही केंद्रित अर्थव्यवस्था के पक्षधर है, दोनों ही योग्यता और प्रतिस्पर्धा को अधिक स्वतंत्रता देने के विरुद्ध हैं। इस तरह इन दोनों ही संगठनों में समानता है। दोनों किसी भी झूठ को बहुत लंबे समय तक बोल सकते हैं उसे सत्य के समान स्थापित कर सकते हैं। आपने देखा होगा की किस तरह सावरकरवादियों ने कितने लंबे समय तक गांधी के संबंध में असत्य बातें

समाज में सत्य के समान स्थापित कर दी इसी तरह साम्यवादियों ने भी अपने पूरे जीवन में अनेक असत्यों को सत्य के समान स्थापित कर दिया। उसमे एक सबसे बड़ा असत्य यह है कि साम्यवादी श्रम शोषण के विरुद्ध हैं जबकि साम्यवादी हमेशा श्रम शोषण की नीतियां बनाते हैं। साम्यवादियों ने ही समाज में महंगाई नाम के झूठ को सत्य स्थापित कर दिया है। इस तरह साम्यवाद और सावरकरवाद में अनेक समानताएं हैं दोनों में कुछ और असमानताएं भी हैं और वह है कि साम्यवाद राष्ट्रीयता के विरुद्ध है सावरकरवाद राष्ट्रीयता का पक्षधर है। साम्यवाद मुस्लिम सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाता है, सावरकरवाद हिंदू सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाता है। साम्यवाद तर्क का सहारा लेता है सावरकरवाद भावनाओं का दोहन करता है। लेकिन मेरे अपने अनुभव के आधार पर दोनों ही वर्तमान भारत के लिए घातक हैं। यद्यपि सावरकरवादियों की तुलना में साम्यवाद अधिक घातक है क्योंकि साम्यवाद का प्रभाव राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल सरीखे बड़े नेताओं के माध्यम से समाज पर वर्तमान समय में भी बहुत है और सावरकरवाद का प्रभाव अब तो संघ पर भी नाम मात्र ही बचा है।

14- कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था, समस्याओं का समाधान:

21 अक्टूबर प्रातः कालीन सत्र और सामाजिक विषय पर चर्चा के अंतर्गत हम वर्ण व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था दुनिया की सभी समस्याओं के समाधान का एक सबसे अच्छा मार्ग है। वर्ण व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को दंड देने का अधिकार सिर्फ राज्य के पास है मार्गदर्शक पालक या सेवक किसी व्यक्ति को दंड नहीं दे सकता फिर भी इन तीनों को किसी अपराधी का बहिष्कार करने की स्वतंत्रता है। इसका अर्थ यह हुआ कि समाज अनुशासन बनाने के लिए बहिष्कार का सहारा ले सकता है दंड तो सिर्फ राज्य ही दे सकता है, समाज नहीं। यह दोनों सीमाएं हमें बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। हम लोगों ने रामानुजगंज में इस व्यवस्था का अच्छी तरह उपयोग किया है। वर्तमान भारत में जो लोग यह समझते हैं कि मुसलमानों के लिए दंड ही एकमात्र समाधान है। वे लोग पूरी तरह गलत है क्योंकि दंड देना समाज का अधिकार नहीं है लेकिन हम बहिष्कार कर सकते हैं। हम लोगों ने 65 वर्ष पूर्व हिंदू मुसलमानों के बीच की इस समस्या का सामाजिक समाधान कर दिया था और रामानुजगंज शहर में इसके अच्छे परिणाम निकले। हम लोगों ने 65 वर्ष पहले रामानुजगंज में यह नियम बनाया था कि समाज सर्वोच्च होगा और रामानुजगंज के सब लोगों को समाज के नियम मान्य होंगे। आज भी रामानुजगंज शहर के हिंदू, मुसलमान इसी सामाजिक एकता के आधार पर सुरक्षित है। यदि एक शहर में इस तरह का हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयोग हो सकता है तो अन्य शहर भी यह प्रयोग कर सकते हैं। गलतियां सिर्फ मुसलमानों की ओर से नहीं हो रही है बल्कि हिंदुओं की तरफ से भी हो रही है। यह बात सच है कि मुसलमान विस्तारवादी होता है। यदि उसकी विस्तारवादी नीतियों पर सामाजिक नियंत्रण हो जाए, तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रयोग अपने शहर में किया, उसमें एक सावधानी रखी कि मुसलमान विस्तारवादी नीतियों का सहारा ना ले सके। इस संबंध में आप रामानुजगंज का इतिहास पढ़ सकते हैं और वर्तमान में भी वहां जाकर वहां की एकता का जायजा ले सकते हैं। हम अंतिम रूप से इस निष्कर्ष तक पहुंच चुके हैं की वर्ण व्यवस्था के अतिरिक्त, दुनिया की समस्याओं का कोई और समाधान नहीं है। वर्ण व्यवस्था जन्म के अनुसार नहीं योग्यता और कर्म के अनुसार होनी चाहिए, दुनिया भारत की तरफ इस वर्ण व्यवस्था के आधार पर देख रही है और हम भारत के लोग वर्ण व्यवस्था के संशोधित आधार पर पहल करें।

15-अपना कुछ खाली समय मार्गदर्शकों के निर्माण में भी लगायें:

नरेंद्र मोदी सरकार पिछली सभी सरकारों की तुलना में ठीक दिशा में जा रही है, किंतु हम नरेंद्र मोदी सरकार से पूरी तरह शत प्रतिशत संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को स्वतंत्रता से कार्य करने दिया जाए लेकिन हम लोगों को उनका मार्गदर्शन जरूर करना चाहिए। सच बात यह है कि हम सिर्फ भारत सरकार का मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया में असफल लोकतंत्र का विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं। हम एक मार्गदर्शकों की ऐसी टीम तैयार कर रहे हैं जो सारी दुनिया के राजनैतिक व्यवस्था का मार्गदर्शन कर सकेगी लेकिन इसकी शुरुआत भारत से हो रही है। इसलिए हमें इस कार्य को करने में बहुत त्याग और धैर्य की आवश्यकता होगी। यह कार्य बहुत लंबे समय तक चलेगा लंबे समय के बाद ही इसके कुछ परिणाम दिखेंगे इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपना कीमती समय इस कार्य में मत लगाइए। आप अपना उपयोगी समय अन्य कार्यों में लगावे। यदि कुछ खाली समय बचता है तो वह इस कार्य में दें, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि इस कार्य से आपको किसी भी प्रकार का आर्थिक या भौतिक लाभ होने की कोई संभावना नहीं है। हम लोगों का यह कार्य तो एक प्रकार से सामाजिक कार्य है। हम समाज के लिए दान दे रहे हैं, जिसका किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होने वाला है। यद्यपि इस कार्य से समाज का बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपके पास यदि कुछ समय खाली हो तो आप हमारे इस पवित्र कार्य में वह समय लगा सकते हैं।

16-सहजीवन और स्वतंत्रता का माडल विकसित करने की जद्दोजहद:

हम लोगों ने 73 वर्षों तक लगातार इस विषय पर रिसर्च किया की वर्तमान दुनिया में भौतिक उन्नति तेज गति से बढ़ने के बाद भी नैतिक पतन क्यों हो रहा है। निष्कर्ष निकला की समाज में व्यक्ति की स्वतंत्रता और सहजीवन की बाध्यता के बीच कोई तालमेल नहीं है। हमारी कुछ संस्कृतियां व्यक्ति स्वातंत्र्य को उद्दंडता की सीमा तक मान्य करती हैं। दूसरी ओर हमारी कुछ संस्कृतियां सहजीवन को गुलामी तक मान्य कर लेते हैं। यह दोनों ही स्थिती अच्छी नहीं है। स्वतंत्रता और उद्दंडता के मामले में पश्चिम की संस्कृति अधिक आगे है, वह सहजीवन की बाध्यता को स्वीकार नहीं करती। दूसरी ओर साम्यवादी और मुस्लिम संस्कृतिया सहजीवन की बाध्यता को व्यक्ति की स्वतंत्रता को गुलामी तक स्वीकार करते हैं, वे व्यक्ति की स्वतंत्रता को ही नहीं मानती। हमारी भारतीय संस्कृति प्राचीन समय में तो दोनों के बीच तालमेल को मानती थी, लेकिन गुलामी काल के समय से लेकर अब तक, हम अस्पष्ट हो गए। अर्थात हम मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव में आकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को शून्य मानने लग गए। बाद में अंग्रेजों के गुलाम होने के बाद सामाजिक व्यवस्था को अमान्य करने लगे। यही कारण है कि हमारी भारतीय संस्कृति व्यक्ति की स्वतंत्रता और सहजीव न की मजबूरी के मामले में अभी अस्पष्ट है, दुविधा में है। हम इस दुविधा को दूर करने के तरीके आपको सुझाना चाहते हैं। हम लोगों ने 75 वर्षों के रिसर्च के बाद जो निष्कर्ष निकाला है वह निष्कर्ष मार्गदर्शक संस्थान के माध्यम से

समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम व्यक्ति की 'स्वतंत्रता' और 'सहजीवन की मजबूरी' के बीच तालमेल का एक ढांचा समाज के सामने प्रस्तुत कर दें, ताकी सारी दुनिया के लिए वह मार्गदर्शक हो जाएगा। हम पिछले दो-तीन वर्षों से लगातार वह ढांचा मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान के माध्यम से आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सब लोग भी इस विचार मंथन कार्यक्रम में जुड़कर एक दूसरे का सहयोग करें। हम लगातार एक इस प्रकार की मार्गदर्शक टीम सशक्त कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, जो पूरे विश्व समाज का मार्गदर्शन कर सके।

17- हिंसा और आक्रोश का समाधान सिर्फ मार्गदर्शकों के पास:

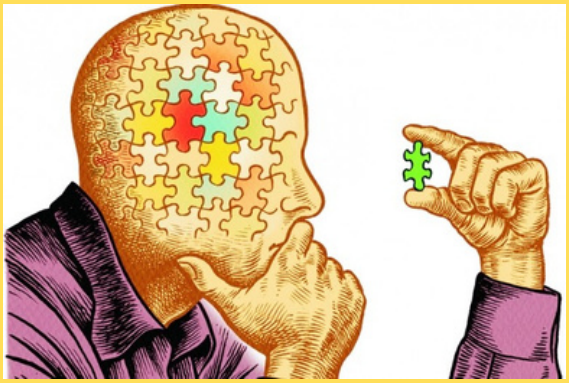

एक जमाना था जब भारत पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करता था और उसका मुख्य कारण था हमारी वर्ण व्यवस्था। भारत में वर्ण व्यवस्था थी और पूरी दुनिया में नहीं थी, इसलिए भारत में अन्य प्रवृत्तियों के साथ बौद्धिक चिंतन का भी संतुलन था। वर्ण व्यवस्था में यह विकृति आई तो हम कमजोर होते चले गए। जिस तरह शरीर में मस्तिष्क होता है, इस तरह ब्राह्मण पूरे समाज का मार्गदर्शक होता है। ब्राह्मणों की संख्या पुराने जमाने में कुल आबादी का 10% मानी जाती थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था में आई विकृति के बाद धीरे-धीरे इस प्रकार के ब्राह्मणों का अभाव होने लगा और परिणाम हुआ कि हम लगातार पिछड़ते चले गए। आज भी अन्य वर्गों की तुलना में ब्राह्मणों में बुद्धिजीवियों का प्रतिशत कुछ अधिक माना जाता है। साथ ही ब्राह्मण अन्य वर्गों की तुलना में गरीब अधिक माने जाते हैं, लेकिन धीरे-धीरे ब्राह्मणों के द्वारा मार्गदर्शक की भूमिका शून्य की तरफ बढ़ रही है। जब तक हम मार्गदर्शक तैयार नहीं कर पाते, तब तक दुनिया की समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। क्योंकि शरीर में मस्तिष्क का भी मजबूत होना आवश्यक है। हम लोगों ने इस समस्या को बहुत गंभीर माना है। हम लोगों के समूह ने यह तय किया है कि हम विचारकों के इस अभाव को दूर करने की शुरुआत करेंगे। हम एक ऐसा मार्गदर्शक मंडल बनाएंगे जो भारत ही नहीं सारी दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है। यह मार्गदर्शक मंडल सारी दुनिया के खून का उबाल ठंडा कर सकता है। जब से विचारकों का अभाव हुआ और क्षत्रिय प्रवृत्ति के लोग बढ़े, इसका दुष्परिणाम हम देख रहे हैं की पूरी दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति में हिंसा और आक्रोश की मात्रा बढ़ रही है। यह हिंसा और आक्रोश की मात्रा सिर्फ मार्गदर्शक ही नियंत्रित कर सकता था, जिनका अभाव हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि हम भारत में आम हिंदुओं के अंदर खून के उबाल को इतना ठंडा कर देंगे कि समाज में शांति स्थापित हो जाए। हम रक्षक अर्थात सरकार को इतनी अधिक शक्ति देंगे कि वे अपराधियों को कानूनी या गैर कानूनी तरीके से पूरी तरह कुचल दें। इस तरह वर्ण व्यवस्था के माध्यम से हम फिर से पुराने स्थिति की ओर लौटने का प्रयास करेंगे। इस पवित्र कार्य में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए।

18- ज़ूम मीटिंग से:

24 अक्टूबर के चर्चा कार्यक्रम में हम लोगों ने आर्थिक विषय पर विचार मंथन किया। कुछ आर्थिक समस्याएं वास्तविक होती हैं तो कुछ समस्याएं भ्रामक और कृत्रिम। चर्चा के लिए मार्गदर्शक सूत्र संहिता का कोटेशन था 'वर्तमान भारत में जो आर्थिक समस्याएं हैं, आर्थिक और समानता को छोड़कर सब सरकारीकरण के दुष्परिणाम हैं। यदि सरकारीकरण के स्थान पर नियंत्रित व्यवसायीकरण की नीति होती तो भारत में आर्थिक असमानता सहित गरीबी, बेरोजगारी आदि का बेहतर समाधान संभव था।'

वर्तमान समय में भारत में छः आर्थिक समस्याएं चर्चा में दिखती है महंगाई, मुद्रा स्थिति, गरीबी, शिक्षित बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और श्रमिक बेरोजगारी। इनमें से पहले चार भावनात्मक और अस्तित्वहीन समस्याएं हैं और बाकी दो आर्थिक असमानता और श्रमिक बेरोजगारी वास्तविक समस्याएं हैं। अस्तित्वहीन समस्याओं को समाज में जीवित रखने में कुछ लोगों का बहुत संगठित प्रयत्न होता है। इन संगठित प्रयत्नों का परिणाम है कि श्रमिक वर्ग के लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कर लगा दिए जाते हैं जो कि बिजली, डीजल, मिट्टी तेल, कोयला और पेट्रोल आदि श्रम प्रतिस्पर्धी पर सरकार को लगाना चाहिए था। अनेक छोटे उद्योग बड़े उद्योगों के पास सिमट रहे हैं और भारतीय बड़े उद्योग धीरे-धीरे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास सिमट रहे हैं। पक्ष हो या विपक्ष सत्ता संघर्ष में लगे हैं। विपक्ष में रहकर जनता का रहनुमा बनने का प्रयास करते हैं और सत्ता पक्ष में आकर रहनुमाई का दिखावा शुरू कर देते हैं। वास्तविक जन कल्याण इनकी नीति में शामिल नहीं है। संविधान ने भले ही जनकल्याणकारी राज्य की घोषणा कर दी है। यदि सुविधा की जगह समाज को स्वायत्तता दी जाती तो इसका बेहतर समाधान संभव था। भारतीय राजनीति ने हमेशा यह प्रयास किया कि किसी भी परिस्थिति में आर्थिक समस्याओं का आर्थिक समाधान, प्रशासनिक समस्याओं का प्रशासनिक समाधान और सामाजिक समस्याओं का सामाजिक समाधान नहीं हो पाए। साफ दिखता है कि राज्य की कोशिश समस्याओं का समाधान न होकर एक नई समस्या का जन्म देना है, जिससे राज्य फिर उस नई पैदा हुई समस्या के समाधान में सक्रिय हो जाए। समस्याओं के समाधान की शुरुआत कुछ समय के लिए जनकल्याण के कार्यों पर न्यूनतम खर्च करके किया जा सकता है। शासन के ऊपर होने वाला व्यय सिर्फ आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर खर्च की जाए। कुछ समय के लिए आर्थिक विषमता की छूट होनी चाहिए। शासन कार्यों पर खर्च करने के बाद शेष बची हुई राशि नागरिकों के बीच समान रूप से वितरित होनी चाहिए। यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जब तक श्रम की मांग और मूल्य नहीं बढ़ेगा, जब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती, तब तक ना शहर में ना समाज में शांति संभव है। कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि से महंगाई, शिक्षित बेरोजगारी, गरीबी, मुद्रा स्फीति आदि अस्तित्वहीन और भ्रममूलक समस्याओं का भी अपने आप समापन हो जाएगा। अच्छा तो यह होता कि इन समस्याओं के नाम पर पनपने वाली राजनीति की दुकानदारी भी समाप्त हो जाए। ऐसा कोई भी राजनीतिक दल इसे स्वीकार नहीं करेगा, वह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मरेगा लेकिन इसके अलावे कोई दूसरा समाधान भी नहीं है। कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि समाजवादी तथा पूंजीपति, बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर कभी सफल तो नहीं होने देंगे। क्योंकि उन्हें डर है कि श्रम का मूल्य बढ़ा तो श्रम खरीदने वालों के लिए भारी संकट पैदा हो जाएगा और श्रम बेचने वाले श्रम खरीदने वालों से बारगेनिंग करने लगेंगे। हमारी सामाजिक अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह तंत्र की नीति और नीयत पर अवलंबित है। सभी आर्थिक समस्याओं का एक ही समाधान दिखता है कि आर्थिक नीतियां भी तंत्र मुक्त होनी चाहिए।

संजय तांती